

अनुसूची 4

(नियम 6 देखिए)

जीव चिकित्सा अपशिष्ट पात्रों/बैगों के परिवहन के लिए लेबल

दिन—मास—वर्ष—

अपशिष्ट कोटि सं.----- उत्पत्ति की तारीख-----
 अपशिष्ट का वर्ग
 अपशिष्ट का प्रकार
 भेजने वाले का नाम और पता पाने वाले का नाम और पता
 फोन सं.----- फोन सं.-----
 टैलेक्स सं.----- टैलेक्स सं.-----
 फैक्स सं.----- फैक्स सं.-----
 व्यक्ति जिससे संपर्क किया जा सके कृपया आपातकालीन व्यक्ति जिससे संपर्क किया जा सके
 स्थिति में निम्नलिखित से संपर्क करें :
 नाम और पता :—
 फोन नं. :
 टिप्पण :

लेबल पानी से न घुलने वाला और प्रमुखतया दृष्टिगोचर होगा।

अनुसूची 5

(नियम 5 और अनुसूची-1 देखिए)

जीव चिकित्सा अपशिष्ट के उपचार और व्ययन के लिए मानक भस्मकों के लिए मानक सभी भस्मक, प्रचालन और उत्सर्जन के निम्नलिखित मानकों को पूरा करेंगे :

क. प्रचालन मानक

1. ज्वलन दक्षता (सी ई) कम-से-कम 99.00 प्रतिशत होगी।
2. इसकी संगणना निम्नलिखित रूप से की गई है :

$$\text{सी. ई.} = \frac{\text{प्रतिशत सी.ओ. 2}}{\text{प्रतिशत सी.ओ. 2 - प्रतिशत सी.ओ. 1}} \times 100$$

3. प्राथमिक चैम्बर का ताप 800 ± 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा।
4. द्वितीय चैम्बर में गैस रेजिडेन्स के समय स्टैक गैस में न्यूनतम 3 प्रतिशत आक्सीजन के साथ 1050 ± 50 सेंटीग्रेड पर कम से कम 1 (एक) सैकिंड होगा।

उत्सर्जन मानक

प्राचल	सांद्रण मि.ग्रा./एन एम 3(12 प्रतिशत सी ओ 2 संशोधन)
1. विविक्त पदार्थ	150
2. नाइट्रोजन आक्साइड	450
3. एच सी आई	50
4. स्टैक की न्यूनतम ऊँचाई 30 मीटर भूमि के ऊपर होगा।	
5. राख में वाष्पशील आर्गनिक 0.01 प्रतिशत से अनधिक होगा।	

टिप्पण :—

1. उपर्युक्त उत्सर्जन सीमाओं को प्राप्त करने के लिए यदि आवश्यक हो तो भस्मक में उपयुक्त रूप से डिजाइन की गई प्रदूषण नियंत्रण युक्तियां प्रतिस्थापित/पूर्व फिटिड होगी।
2. भस्मित किए जाने वाला सम्पूर्ण अपशिष्ट किसी क्लोरीन युक्त विसंक्रमक से रसायनिक रूप से उपचारित नहीं होगा।

- * क्लोरी युक्त प्लास्टिक का भस्मन नहीं किया जाएगा।
- * भस्मित राख में आविष धातुओं की मात्रा खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंध और हस्तन नियम), 1989 के अधीन यथा परिभाषित विनियम परिमाणों के तक सीमित होगी।
- * भस्मक में केवल कम सलफर से युक्त ईंधन जैसे एल.डी.ओ./एल.एस.एच.एस/डीजल का ही प्रयोग किया जाएगा।

अपशिष्ट आटोक्लेविंग के लिए मानक:— आटोक्लेव जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के प्रयोजन के लिए समर्पित होना चाहिए।

- (1) जब घनत्व प्रवाह आटोक्लेव को संचालित किया जा रहा हो तो चिकित्सीय अपशिष्ट को—
 - (i) कम से कम 60 मिनट आटोक्लेव रेजिडेंस समय तक, 121 सें. तापमान और 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच संपीड़न से होकर,
 - (ii) कम से कम 45 मिनट आटोक्लेव रेजिडेंस समय तक, कम से कम 135 सें. तापमान और 31 पाउंड प्रति वर्ग इंच संपीड़न से होकर, या
 - (iii) कम से कम 30 मिनट आटोक्लेव रेजिडेंस समय तक, कम से कम 149 सें. तापमान और 52 पाउंड प्रति वर्ग इंच संपीड़न से होकर गुजारा जाएगा।
- (2) जब किसी वैकम आटोक्लेव को संचालित किया जा रहा हो तो चिकित्सीय अपशिष्ट को कम से कम एक प्रिवेकम पल्स से होकर गुजारा जाएगा जिससे कि आटोक्लेव से सभी वायु से शुद्ध हो जाए।
अपशिष्ट को—
 - (i) कम से कम 45 मिनट आटोक्लेव रेजिडेंस समय तक, कम से कम 121 सें. तापमान और 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच संपीड़न से होकर, या
 - (ii) कम से कम 30 मिनट आटोक्लेव रेजिडेंस समय तक, कम से कम 135 सें. तापमान और 31 पाउंड प्रति वर्ग इंच संपीड़न से होकर गुजारा जाएगा।
 - (iii) चिकित्सीय अपशिष्ट को तब तक समुचित रूप से उपचारित नहीं समझा जाएगा जब तक कि सभी समय, तापमान और संपीड़न यह उपदर्शित न करें कि आटोक्लेव प्रक्रिया के दौरान, अपेक्षित समय, तापमान और संपीड़न प्राप्त कर लिया गया है। यदि किसी कारणवश समय, तापमान या संपीड़न उपदर्शित यह दिखाता है कि अपेक्षित, तापमान या संपीड़न या रेजिडेंस समय प्राप्त नहीं किया गया तो चिकित्सीय अपशिष्ट के संपूर्ण भार को तब तक पुनः आटोक्लेव किया जाएगा जब तक कि समुचित तापमान, संपीड़न और रेजिडेंस समय प्राप्त नहीं कर लिया जाता।
 - (iv) **संक्रियात्मक पारामीटर की रिकार्डिंग :—**प्रत्येक आटोक्लेव में ग्राफिक या कम्प्यूटर रिकार्डिंग युक्ति होगी जो स्वतः और निरन्तर, तारीख, समय दिन, भार पहचान संख्या और पूरे आटोक्लेव चक्र के प्रचालन पारामीटर की रिकार्डिंग करेगी।
 - (v) **विधिमाम्यकरण परीक्षण स्पोर परीक्षण:—** स्पोर परीक्षण आटोक्लेव को, प्रत्येक आटोक्लेव ईकाई को अधिकतम डिजाइन क्षमता पर अनुमोदित, जैविक उपसंकेतक को पूर्णतः और समान रूप से खत्म करना चाहिए। आटोक्लेव के लिए जैविक उपसंकेतक होगा बैसिलस स्टिरोथर्मोफिलिस स्पोर, जिसमें कम से कम प्रति मिलीमीटर 1×10^4 स्पोर वाली वायल या स्पोर स्ट्रिप का प्रयोग होगा। किसी भी परिस्थिति में किसी आटोक्लेव में न्यूनतम 30 मिनट के रेजिडेंस समय से कम वाला प्रचालन पारामीटर न होगा चाहे तापमान और संपीड़न कुछ भी हो और तापमान 121 सें. या संपीड़न 15 पाउंड वर्ग इंच से कम नहीं होगा।
 - (vi) **नैमिक परीक्षण :—** एक ऐसी रासायनिक संकेतक पट्टी/अप का जो तब अपना रंग बदलती है जब एक विशेष तापमान तक पहुंचा जाता है उसका प्रयोग इस बात का सत्यापन करने के लिए किया जा सकता है कि एक विशिष्ट तापमान प्राप्त कर लिया गया है। एक से अधिक स्ट्रिप का विभिन्न अवस्थानों पर अपशिष्ट पैकेजों पर प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो सकता है कि पैकेज की अंदरूनी अंतर्वस्तु का पर्याप्त रूप से आटोक्लेव हो गया है।

द्रव अपशिष्ट के लिए मानक :— अस्पताल से जनन होने वाला बहिःस्राव निम्नलिखित सीमाओं के अनुरूप होगा :—

प्राचल	अनुज्ञेय सीमाएं
पी एच	6.5—9.0
निलंबित ठोस	100 मि.ग्रा./1
तेल और ग्रीस	10 मी.ग्रा./1
बी ओ डी	30 मी.ग्रा./1
सी ओ डी	250 मि.ग्रा./1
जैव अमापन परीक्षण	100 प्रतिशत बहिःस्राव में 96 घंटे रहने के पश्चात् 90 प्रतिशत मृत्यु उपजीविता

- * ये सीमाएं ऐसे अस्पतालों पर लागू हैं जो अन्त्यवाहित (टर्मिनल) मल उपचार संयंत्र के बिना मल नाली से जुड़ते हैं या सार्वजनिक मल नालियों से नहीं जुड़ते। ऐसे सार्वजनिक मल नलों में विसर्जन के लिए जिनमें अन्त्य (टर्मिनल) सुविधा है, साधारण मानक, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अधीन लागू किए जाने के लिए यथा अधिसूचित हैं।

सूक्ष्म तरंगन के मानक

1. सूक्ष्म तरंग उपचार कोशिका आविष, खतरनाक या रेडियो एक्टिव अपशिष्ट, विसंदूषित पशु शव, शरीर के अंगों और धातु की बड़ी वस्तुओं के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा।
2. सूक्ष्म तरंग पद्धति प्रभावोत्पादकता परीक्षण/नेमी परीक्षणों का पालन करेगी और यूनिट के प्रचालन से पूर्व प्रदायकर्ता निष्पादन गारंटी देगा।
3. सूक्ष्म तरंग, प्रत्येक सूक्ष्म तरंग यूनिट की अधिकतम डिजाइन क्षमता पर बैक्टीरिया और अन्य रोगोत्पादक जीवों को, जैसा कि अनुमोदित जैव सूचक द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, पूर्णतया और निरन्तर समाप्त करेगा। सूक्ष्म तरंग के लिए जैव सूचक, कृषिक या स्पोर स्ट्रिप का प्रयोग करते हुए बेसिलस सबटिलिख स्पोर जिसमें प्रति मिलीमीटर में कम से कम 1×10 प्रतिशत स्पोर हैं।

गहरा गाड़ने के लिए मानक

1. लगभग 2 मीटर गहरा एक गड्ढा या खंदक खोदी जानी चाहिए। गड्ढे या खंदक की आधी भराई अपशिष्ट से करनी चाहिए और शेष को मिट्टी से भरने से पूर्व उसकी सतह को 50 से. मी. तक चूने से ढकना चाहिए।
2. यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि पशु किसी गाड़ने के स्थान तक न पहुंच पाएं गल्बनीकृत लोहे/तारों की जालियों के कवर उपयोग में लाए जा सकते हैं।
3. प्रत्येक उस समय जब अपशिष्ट गर्त में डाला जाए तो अपशिष्ट को ढकने के लिए 10 से. मी. मृदा की परत डाली जाए।
4. गर्त में डालकर ढकने का कार्य समर्पित पर्यवेक्षण में होना चाहिए।
5. गर्त में डालकर ढकने का स्थल, कठोर होना चाहिए और उसके समीप कोई उथला कुआं न हो।
6. गर्त निवास स्थानों से दूर ऐसे स्थानों पर होने चाहिए कि पृष्ठ जल अथवा भू-जल को किसी प्रकार का संदूषण न हो। वह क्षेत्र बाढ़ अथवा अपरदन ग्रस्त क्षेत्र नहीं होना चाहिए।
7. गहरे गर्त में डालकर ढकने का स्थल, विहित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत होना चाहिए।
8. इस प्रकार के सभी गड्ढों के स्थान रिकार्ड किए जाएंगे और यह रिकार्ड रखा जाएगा।

अनुसूची 6

(देखिए नियम 5)

भस्मक/आटोक्लेव/सूक्ष्म तरंगन प्रणाली जैसी अपशिष्ट शोधन सुविधा प्रारंभ करने के लिए नियत समय

- | | |
|--|---------------------------------|
| क. 30 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों में अस्पताल और नर्सिंग होम | 31 दिसंबर, 1999 तक या उससे पहले |
| ख. 30 लाख से कम आबादी वाले शहरों में अस्पताल और नर्सिंग होम | |
| (क) 500 और उससे अधिक बिस्तर वाले | 31 दिसंबर, 1999 तक या उससे पहले |
| (ख) 200 और उससे अधिक किन्तु 500 से कम बिस्तर वाले | 31 दिसंबर, 2000 तक या उससे पहले |
| (ग) 50 तथा उससे अधिक किन्तु 200 से कम बिस्तर वाले | 31 दिसंबर, 2001 तक या उससे पहले |
| (घ) 50 से कम बिस्तर वाले | 31 दिसंबर, 2002 तक या उससे पहले |
| ग. ऊपर "क" और "ख" में शामिल न किए गए जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट | 31 दिसंबर, 2002 तक या उससे पहले |
- उत्पन्न करने वाली अन्य सभी संस्थाएं

प्रारूप 1

(नियम 8 देखिए)

प्राधिकार आवेदन

सेवा में,

विहित प्राधिकारी

(राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का नाम)

1. आवेदक की विशिष्टियां

(i) आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में और पूरा नाम लिखें)

(ii) संस्था का नाम :

पूरा पता :

(टेलीफोन सं., फैक्स सं., टेलीकस सं.)

2. क्रियाकलाप जिनके लिए प्राधिकार मांगा गया है :
 - (i) जनन
 - (ii) पृथक्करण
 - (iii) अभिग्रहण
 - (iv) भण्डारण
 - (v) परिवहन
 - (vi) उपचार
 - (vii) व्ययन
 - (viii) हस्तन का कोई अन्य प्रकार
3. आवेदन नए प्राधिकार के लिए है या नवीकरण के लिए ?
(नवीकरण की दशा में पूर्व प्राधिकार की संख्या और तारीख)
4. (i) जैव चिकित्सकीय अपशेष का हस्तन करने वाली संस्था का पता
(ii) उपचार की सुविधा के स्थान का पता :
(iii) अपशिष्ट के व्ययन के स्थान का पता :
5. (i) परिवहन का/के ढंग
(ii) पृथक्करण की पद्धति/पद्धतियां/तकनीकियां
6. उपचार एवं निपटान की पद्धति का संक्षिप्त ब्यौरा (ब्यौरा संलग्न करें)
7. (i) हस्तन किए जाने वाले अपशिष्ट का प्रवर्ग (देखें अनुसूची 1)
(ii) प्रतिमास हस्तन की जाने वाली अपशेष (श्रेणीवार) की मात्रा
8. घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि ऊपर किए गए कथन और दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान को विश्वास के अनुसार सही है तथा इन कथनों की बावत मेरे पास उपलब्ध कोई जानकारी छिपाई नहीं गई है। मैं इन नियमों के संबंध में नियत प्राधिकारी द्वारा मांगी कोई भी अन्य सूचना देने और नियत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित कोई भी शर्तें पूरी करने का भी वचन देता हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का पदनाम

तारीख

स्थान :

प्रारूप 2

(नियम 10 देखिए)

वार्षिक रिपोर्ट

(प्रत्येक वर्ष जनवरी मास में विहित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी)

1. आवेदक की विशिष्टियां
 - (i) प्राधिकृत व्यक्ति का नाम (अधिभोगी/प्रचालक)
 - (ii) संस्था का नाम
 - पता
 - टेलीफोन सं.
 - टैलेक्स सं.
 - फैक्स सं.
2. मासिक औसत आधार पर जनन किए गए अपशिष्ट का प्रवर्ग और मात्रा,

3. उपचार सुविधा के विस्तृत ब्यौरे
आफ-साइट सुविधा के मामले में
(i) प्रचालक व्यक्ति का नाम
(ii) सुविधा का नाम और पता
टेलीफोन सं. टेलेक्स सं. फैंक्स सं.
4. उपचारित अपशिष्ट की श्रेणी चार मात्रा
5. उपचार की पद्धति ब्यौरे सहित
6. अन्य कोई सूचना :
7. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त रिपोर्ट ----- से प्रारम्भ होने वाली अवधि के लिए है।

हस्ताक्षर-----
पदनाम-----

तारीख -----

स्थान -----

प्रारूप 3

(नियम 12 देखिए)

दुर्घटना की रिपोर्ट

1. दुर्घटना की तारीख और समय
2. उन दुर्घटनाओं का क्रम जिनसे दुर्घटना हुई :
3. दुर्घटना में अंतर्वलित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट :
4. मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर दुर्घटना के प्रभावों का मूल्यांकन
5. किए गए आपातकालीन उपाय :
6. दुर्घटनाओं के प्रभावों के निराकरण के लिए उठाए गए कदम।
7. ऐसी दुर्घटना के पुनः घटित होने को रोकने के लिए उठाए गए कदम।

हस्ताक्षर-----
पदनाम-----

तारीख -----

स्थान -----

[फा. सं. 23/2/96/एच एस एम डी]

विजय शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, 20th July, 1998

S.O. 630 (E).—Whereas a notification in exercise of the powers conferred by Sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) was published in the Gazette vide S.O. 746 (E) dated 16 October, 1997 inviting objections from the public within 60 days from the date of the publication of the said notification on the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 and whereas all objections received were duly considered:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 the Central Government hereby notifies the rules for the management and handling of bio-medical waste:

1. **SHORT TITLE AND COMMENCEMENT :**

- (1) These rules may be called the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.